A052-20222023-001-1620180

संख्या-79 /2022/853/52-1-2022-08(पी0एम0जे0वी0के0)/19टी0सी0

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 01 नवम्बर, 2022

विषय -अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की 12वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 18.01.2019 द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत जनपद-मुजफ्फरनगर के वि0ख0-शाहपुर में स्वीकृत रा0 आई0टी0आई0 के भवन निर्माण हेतु राज्यांश की **द्वितीय किश्त** अवमुक्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1574/अ0स0क0नि0/पी0एम0जे0वी0के0/जनपत्र-155(11)/2022 दिनांक 08.07.2022 एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-एम.एस.डी.पी.-13/21/2019-एम.एस.डी.पी.-एम.ओ.एम.ए., दिनांक 06.01.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें। भारत सरकार द्वारा अवमुक्त उक्त केन्द्रांश रू0 378.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-18/2022/608/बावन-1-2022-13(पी0एम0जे0वी0के0)/2022 दिनांक 20 जुलाई 2022 द्वारा एस0एन0ए0 खाते के संगत लेखाशीर्षक मद में अंतरित कर दी गयी है, का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-मुजफ्फरनगर के वि0ख0-शाहपुर में स्वीकृत रा0 आई0टी0आई0 के भवन निर्माण के लिए द्वितीय किश्त के रूप में बनने वाले

कुल राज्यांश रू0 252.00 लाख के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि **रू0 63.00 लाख (रूपये तिरसठ लाख मात्र)** द्वितीय किश्त के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के **लेखाशीर्षक-4235-02-800-89-8905** में प्राविधानित बजट से निम्न विवरणानुसार अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(केन्द्रांश 60, राज्यांश 40) (रू 0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त (के +रा0)	भा0स0 द्वारा अवमुक्त द्वितीय किश्त केन्द्रांश एस0एन0ए0 में जमा	द्वितीय किश्त केन्द्रांश के सापेक्ष बनने वाला राज्यांश	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित द्वितीय किश्त राज्यांश की 25 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मुजफ्फर नगर	वि0ख0-शाहपुर में राजकीय आई0टी0आई0	01	1260.00	756.00	504.00	630.00	378.00	252.00	63.00
	योग		01							63.00

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सम्बन्धित **कार्यदायी संस्था** को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोंदित लागत से निर्धारित अवधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन अनुमन्य नहीं होगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(2)- **वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 07.06.2022, 30.12.2021, 22.03.2021, 20.01.2021, 09.12.2020, 29.09.2020, 11.04.2020, 24.03.2020,** 21.06.2017, 03.08.2017 एवं दिनांक 26.08.2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- प्रश्नगत राज्यांश की धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तत्सम्बन्धी मैचिंग केन्दांश अवमुक्त है।

(4)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व निर्गत किया गया राज्यांश कोषागार से आहरित नहीं किया गया है।

(5)- प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश उपलब्ध है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

(6)- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है

(7)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8)- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 की होगी।

(9)- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(10)- वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(11)- अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

(12)- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(13)- आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(14)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15)- यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(16)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(17)- प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

(18)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

(19)- योजनान्र्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा ।

(20)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइडलाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(21)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(22)- **कार्य की विशिष्टयॉं, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माणकारी संस्था की होगी तथा निर्माणकारी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।** निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत परियोजना के निर्माण की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है।

(23)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(24)- अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा ।

(25)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(26)- **उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा।** अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ताकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक,अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा तथा प्रथम किश्त के कार्यों की गुणवत्ता रिपोर्ट जिलाधिकारी से प्राप्त करने का दायित्व निदेशालय का होगा।

(27)- केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8905-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आई0टी0आई0 भवनों का निर्माण 24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के के अशासकीय संख्या-ई-4-174-X-2022-23, दिनांक 01.09.2022 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-853(1)/बावन-1-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया जनपद-मुजफ्फरनगर में स्वीकृत उक्त आई0टी0आई0 भवनों का निर्माण का मानकानुसार उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर से भी कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्यों के लिए किसी दूसरी मद से धनराशि का आहरण न किया गया हो।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
8- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 रोजगार भवन, गुरू गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- निदेशक, **पैकफेड** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत आई0टी0आई0 भवन का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **मुजफ्फरनगर** को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत आई0टी0आई0 के निर्माण की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति को वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।